

प्रेषक,

शैलेश कुमार,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 10/03/2025

विशय:-राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु कुल रु० 27,34,00,000/- (रुपये सत्ताईस करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल में 150 नामांकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-108(7), दिनांक-11.07.2022 के द्वारा दी गयी है ।

2-उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक-F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX) SACE-54, Dated: 24.01.2025 एवं F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-Bihar, Dated 24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्राक-69, दिनांक-27.01.2025 के द्वारा "Under Part-I" अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को भुगतान हेतु रु० 27 34 करोड़ की स्वीकृति दी गई है । तृतीय अनुपूरक आगणन से इस मद में 27 34 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गयी है ।

3-इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्यादेश सं० एवं दिनांक
1	2023-24	5,00,00,000	सं०-195(7), दिनांक-28.08.2023
2	2023-24	20,00,00,000	सं०-641(7), दिनांक-14.03.2023
3	2024-25	1,50,00,000	सं०-80(7), दिनांक-25.06.2024
4	2024-25	25,00,00,000	सं०-131(7), दिनांक-16.08.2024
5	2024-25	25,00,00,000	सं०-151(7), दिनांक-29.08.2024
6	2024-25	42,66,00,000	सं०-306(7), दिनांक-23.12.2024
7	2024-25	5,00,00,000	सं०-495(7), दिनांक-10.03.2025
	कुल-	1,24,16,00,000	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" अंतर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु कुल रु० 27,34,00,000/- (रुपये सत्ताईस करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-108(7), दिनांक-11.07.2022 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022 एव 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 050 भूमि-0103-नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

8- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9-वित्त विभागीय पत्र संख्या-632वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10-वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-69/वि०, दिनांक-27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

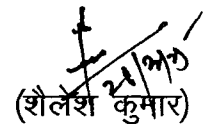
11-इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13-प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/बजट-46-02/2022 के पृष्ठ-41/टि० में प्राप्त है।

14-यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शैलेंद्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Kunal

ज्ञापाक-07/बजट-46-02/2022 - 539 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक- 10/03/2025

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना /आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।
Kumari